भारत सरकार

**इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 412**

जिसका उत्तर 04 फरवरी, 2022 को दिया जाना है।

15 माघ, 1943 (शक)

## आधार और वोटर आईडी के बीच डेटा लिंकेज

**412. श्रीमती फूलो देवी नेतम** :

**श्री सैयद नासिर हुसैन** :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आधार और वोटर आईडी (मतदाता पहचान पत्र) के बीच डेटा के लिंकेज के दुरुपयोग को रोकने के लिए कोई उपबंध हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या वोटर आईडी के डेटाबेस में मौजूद डेटा, आधार डेटाबेस से जुड़े सभी डेटा परस्पर प्रभाव डाल सकते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ड.) क्या सरकार ने मतदाताओं की प्रोफाइलिंग जैसे चुनावी उद्देश्यों के लिए आधार के डेटा के संभावित दुरुपयोग की जांच की है; और

(च) यदि हां, तो इसे रोकने हेतु उपायों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

## इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री राजीव चंद्रशेखर)

**(क)** से **(च):** मतदाता सूची भारत के चुनाव आयोग के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के तहत तैयार की जाती है, जैसा कि संविधान के तहत प्रतिस्ठापित किया गया है।

यह सुनिश्चित करने के लिए एक सुदृढ विधिक और प्रौद्योगिकी मंच है कि आधार डेटा का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाता है जिसके लिए इसे एकत्र किया जाता है।

निर्वाचन कानून (संशोधन) अधिनियम, 2021 के तहत निर्वाचन कानूनों में प्रस्तावित संशोधन आधार को मतदाता डेटा की सही पहचान के अधिप्रमाणन हेतु एक विकल्प के रूप में रखता है। आधार

प्लेटफार्म फर्जी मतदाताओं को मतदाता सूची में प्रवेश करने से रोकता है। यह सुबोध है कि मतदाता पहचान पत्र के लिए आधार का उपयोग करना अनिवार्य नहीं है।

आधार डेटा के संचालन के लिए आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 के कानूनी प्रावधानों का कानून के अनुसार पालन किया जाता है।

*******